संख्या-17/2017/1156जेड/6-सा-3-2017-25जी/16

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान,
दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के कार्यालय अधिष्ठान हेतु बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 35,23,000/- में से आदेश संख्या-8/2017/422जेड/6-सा-3-2017-25जी/16 दिनांक 25-04-2017 द्वारा प्रथम 05 माह के लिये आवंटित धनराशि रू0 13,97,000/- (रू0 तेरह लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) को घटाते हुये अवशेष 07 माह के लिये धनराशि रू0 19,61,000/- (रू0 उन्नीस लाख इकसठ हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03-08-2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तद्नुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

लेखा शीर्षक/मद	**प्रावधानित धनराशि (लाख रूपयों में)**	**स्वीकृत धनराशि (लाख रूपयों में)**
अनुदान सं0-28 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें- 04-उ0प्र0 स्व0 सं0 से0 सहायता संस्थान- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)- 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) 53- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	 3.30 30.26 1.67	 0.28 (प्रथम किस्त का अवशेष) 17.66 1.67
योग रू0	**35.23 (रू0 पैंतीस लाख तेइस हजार मात्र)**	**19.61 (रू0 उन्नीस लाख इकसठ हजार मात्र)**

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय।

3- एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

4- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि से सम्बन्धित मदवार व्यय विवरण नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाय तथा जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-200-अन्य योजनायें-04-उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या: 17/2017/1156(1)जेड/6-सा-3--2017, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

4-मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-12 उ0प्र0 शासन।

7-आहरण एवं वितरण अधिकारी।

8-अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।

9-इन्चार्ज, एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, को वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

10-राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।

11-गार्ड बुक।

भवदीय,

(सूर्य कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/